


भारतीय रेल (रेल मंत्रालय)  
डीजल रेल इंजन कारखाना  
वाराणसी- 221004 भारत  
INDIAN RAILWAYS (MINISTRY OF RAILWAYS)  
DIESEL LOCOMOTIVE WORKS  
VARANASI - 221004, INDIA



एएलडब्ल्यूसी- 01

पत्र सं०-म०प्र०(का०)/ई.आर/भत्ता-भाग-1

कार्यालय-म०प्र०/कार्मिक

दिनांक- 25/07/2018

सर्वसम्बंधित,  
डीरेका/वाराणसी, कोलकाता,  
सियालदह एवं कैम्प कार्यालय,  
नई दिल्ली ।


प्रतिलिपि :-

- ❖ संयुक्त सचिव कर्मचारी परिषद एवं अन्य सदस्यगण ।
- ❖ सचिव अनु०जाति/अनु०ज०जा० एसोसिएशन एवं सचिव अ०पि०व०एसोसिएशन ।
- ❖ सचिव सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एसोसिएशन ।

विषय:- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रात्रि इयूटी भत्ता (एनडीए) की दरों में संशोधन करना के संबंध में ।

उपरोक्त विषय मे रेल मंत्रालय के पत्र सं०-ई(पी एंड ए)II-2017/एचडब्ल्यू-1, दिनांक-08.03.2018 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित है ।

संलग्न :-01 पेज

  
25/7/18

(एम.ए.अंसारी)

सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ  
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

क्रम सं. पीसी-VII/95  
सं. ई(पीएंडए)11-2017/एचडब्ल्यू-1

आरबीई नं. 36/2018  
नई दिल्ली, दिनांक 08.03.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रात्रि इ्यूटी भत्ता (एनडीए) की दरों में संशोधन करना।

++++++

कृपया बोर्ड के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 16.12.2008 (आरबीई सं. 199/2008) के पत्र सं. ई(पीएंडए)11-2008/एचडब्ल्यू-2 का अवलोकन करें, जो 6ठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि के दौरान रात्रि इ्यूटी भत्ता (एनडीए) की दरों में संशोधन करने के बारे में है।

2. भारत सरकार द्वारा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति जी सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि 2200 बजे से 0600 बजे तक की अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए रात्रि इ्यूटी भत्ता (एनडीए) की प्रतिघंटा दर {(मूल वेतन+महंगाई भत्ता)/200} के समान होगी, जो रेल सेवक (कार्य के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के साथ पठित रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय XIV के अंतर्गत वर्गीकृत अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की पात्र कोटियों के लिए अनुमेय है। यह दर प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी। 22.00 बजे से 06.00 बजे के बीच निष्पादित इ्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज का मौजूदा फार्मूला जारी रहेगा।

3. रात्रि इ्यूटी भत्ता (एनडीए) इसके अध्यक्षीन प्रदान किया जाएगा कि संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि रात्रि इ्यूटी अनिवार्य है।

4. रात्रि इ्यूटी भत्ता (एनडीए) की संशोधित दरें 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगी।

5. ये आदेश नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा अनुदेशों के जारी किए जाने के पश्चात्, आशोधन, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होंगे।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक, ई(पीएंडए)11,

रेलवे बोर्ड